

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2026

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही-

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 297/2026 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4(1) पॉक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त मुरली उर्फ अनिल उर्फ अलीन पुत्र निरहू सोनकर को भवनियापुर उपाध्याय चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.08.2026 को थाना इटियाथोक क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना इटियाथोक पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की बिना बताये कही चली गई है काफी खोज बिन व ना रिस्तेदारी में पता लगाया पर कुछ पता नहीं चल सका। तहरीर के आधार पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 64(1) बीएनएस एवं 3/4(1) पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी हुई थी। जिसमें आज दिनांक 09.09.2026 को थाना इटियाथोक पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त मुरली उर्फ अनिल उर्फ अलीन पुत्र निरहू सोनकर को भवनियापुर उपाध्याय चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुरली उर्फ अनिल उर्फ अलीन पुत्र निरहू सोनकर निवासी शिवसहाय पुरवा मौजा छिटनापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 297/2026 धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4(1) पॉक्सो एक्ट थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 कृष्णानन्द पाण्डेय
2. का0 श्रवण मिश्रा

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही-

थाना छपिया पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 340/2026 धारा 69 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त राहुल पासवान को भवाजीतपुर उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.08.2026 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना छपिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी राहुल पासवान पुत्र आनन्द पासवान द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया है तथा शादी के लिए मना कर रहा है। तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 09.09.2026 को थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त राहुल पासवान को भवाजीतपुर उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल पासवान पुत्र आनंद पासवान निवासी ग्राम भवाजीतपुर थाना छपिया जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 340/2026 धारा 69 बीएनएस थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्रीराम गुप्ता

02. हे0का0 सुरेश गुप्ता

03. का0 अनुराग दुबे

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2026

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही-

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 226/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त दीपक पुत्र रामानन्द सोनकर को भवनियापुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2026 को थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना खरगूपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी दीपक पुत्र रामानन्द सोनकर उनकी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जिसमें आज दिनांक 09.09.2026 को थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त दीपक पुत्र रामानन्द सोनकर को भवनियापुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीपक पुत्र रामानन्द सोनकर निवासी महजिदिया थाना देहात कोतवाली जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 226/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शंकर सोनकर

02. का0 सचिन कुमार

03. का0 शिवम गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2026

**थाना को0 नगर पुलिस द्वारा टुल्लू पम्प चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का 01 टुल्लू पम्प(मोटर) बरामद-
कार्यवाही**

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 835/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त आसिफ पुत्र लुकमान को फैजाबाद रोड से दयाराम तालाब जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे स 01 अदद टुल्लू पम्प (मोटर) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.09.2026 को वादी दिनेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 ओंकार सिंह निवासी राधाकुण्ड थाना को0नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित सूचना दिया की किसी अज्ञात चोर द्वारा मकान में बने मन्दिर में लगे टिल्लू पम्प चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

जिसमें आज दिनांक 09.09.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त आसिफ पुत्र लुकमान को फैजाबाद रोड से दयाराम तालाब जाने वाली मार्ग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे स 01 अदद टुल्लू पम्प (मोटर) बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. आसिफ पुत्र लुकमान निवासी शास्त्री नगर तोपखाना थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0-835/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

01. 01 अदद टुल्लू पम्प(मोटर) बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता
02. का0 अंशु वर्मा
03. का0 अवनीश वर्मा
04. का0 बृजमोहन लोधी

मीडिया सेल, गोण्डा।
प्रेस नोट
दिनांक 09.09.2026

आपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को0देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीड़िता की फ्रांड गयी 7,120/- रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़िता के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़िता ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवाद:-

कार्यवाही-

थाना को0देहात की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़िता की फ्रांड गयी धनराशि को सम्बन्धित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए 7,120/- पीड़िता के खाते में वापस करायी गयी। पीड़िता द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना को0देहात की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एक महिला द्वारा थाना को0देहात की साइबर हेल्प डेस्क में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेंसिल पैकिंग का कार्य उपलब्ध कराने तथा प्रतिमाह 15,000/- कमाने का लालच का झांसा देकर रू0 की साइबर फ्रांड होने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना को0देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़िता के 7,120/- रू0 की धनराशि वापस करायी गयी।

नोट- साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रांड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

साइबर हेल्पडेस्क टीम-

01. म0का0 दीपांशी मिश्रा
02. का0 अनमोल त्रिवेदी
03. का0 कमल कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2026

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

कार्यवाही-

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मु0अ0सं0 318/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह को झिलाही बाजार में क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.08.2026 को थाना को0मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक महिला द्वारा थाना को0मनकापुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी पुत्री दोपहर में शौच के लिए गयी थी लेकिन वापस नहीं लौटी। तहरीर के आधार पर थाना को0मनकापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। जिसमें आज दिनांक 09.09.2026 को थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह को झिलाही बाजार में क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकित सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह निवासी ग्राम चैनपुरा धुसवाखास थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 318/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना को0मनकापुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिव कुमार गिरी
02. का0 सालिकराम यादव
03. म0का0 संगीता

मीडिया सेल, गोण्डा।

